रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062025-263773
CG-DL-E-13062025-263773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947
No. 339] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2025

सा.का.नि. 382(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 की अनुसूची-I में, भाग-3 में, सारणी में, क्रम संख्या III और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

भंडार के प्रकार तथा प्रमुख खनिज	जी4 स्तर	जी3 स्तर	जी2 स्तर	जी1 स्तर	टिप्पणियां
"**III. रत्न:** बेरिल, पुखराज, पन्ना निक्षेप, हीरा, कार्बोनेटाइट में	यदि आवश्यक हो तो स्काउट प्रवेधन (समय - समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा	8 से 10 पिटों / ट्रेंचेस प्रति वर्ग कि.मी.। 200 मी. अथवा कम	ट्रेंचिंग प्रमुखत: 5 मी. अंतराल पर 200 मी. अथवा कम	बोर होल की दूरी जी2 स्तर से कम रखा जाए।	जी2 तथा जी1 स्तर पर जहां कहीं आवश्यक हो ग्रेडों और वसूली की प्रपुंज निर्धारण के साथ

फ्लूओराइट की पॉकेट/लेंस/वेंस, आदि।	निर्दिष्ट ग्रिड के परिपेक्ष्य में)	अंतराल पर देशज शैल की निरंतरता के परीक्षण के लिए बोर होल्स	अंतराल पर देशज शैल की निरंतरता के परीक्षण के लिए बोर होल्स		गवेषणात्मक खान ओपनिंग खुला मुहाना अथवा भूमिगत
IIIक. पेग्माटाइट्स, रीफ्स और वेंस /पाइपों में पाए जाने वाले दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई)।	आवश्यकतानुसार स्काउट प्रवेधन/यादृच्छिक पिटिंग/खाई खोदना	प्रति वर्ग किलोमीटर 10 से 25 गड्ढे/खाइयां। प्रवेधन के मामले में, बोरहोल अंतर 40 मीटर x 20 मीटर या 40 मीटर x 40 मीटर हो सकता है।	अधिमानतः 20 मीटर के अंतराल पर गड्ढे खोदना/खाई खोदना। प्रवेधन के मामले में, बोरहोल अंतर 20 मीटर x 10 मीटर या 20 मीटर x 20 मीटर हो सकता है।	10 मीटर x 10 मीटर या उससे कम गवेषणात्मक ओपन पिट या बोरहोल या जहां भी आवश्यक हो ग्रेड एवं रिकवरी के थोक निर्धारण के साथ भूमिगत नमूनाकरण।	
IIIख. कार्बोनेटाइट और अन्य क्षारीय आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई):					
(i) सारणीबद्ध दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) निक्षेप।	आवश्यकतानुसार स्काउट प्रवेधन/यादृच्छिक पिटिंग/खाई खोदना	बोरहोल ग्रिड/नमूना अंतर 400 मीटर x 200 मीटर या उससे कम हो सकेगा	बोरहोल ग्रिड/नमूना अंतर 200 मीटर x 100 मीटर या उससे कम हो सकेगा	बोरहोल ग्रिड/नमूना अंतर 100 मीटर x 100 मीटर या उससे कम हो सकेगा	
(ii) वेंस /लेंसों के रूप में लेंटिक्युलर दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) निक्षेप।	आवश्यकतानुसार स्काउट प्रवेधन/यादृच्छिक पिटिंग/खाई खोदना	बोरहोल /नमूना अंतर 200 मीटर x 200 मीटर या उससे कम हो सकेगा	बोरहोल /नमूना अंतर 100 मीटर x 100 मीटर या उससे कम हो सकेगा	बोरहोल /नमूना अंतर 100 मीटर x 50 मीटर या उससे कम हो सकेगा।"	

[फा.सं. 16/62/2020-एम.VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 304(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 *द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 52(अ) तारीख 21 जनवरी, 2024 *द्वारा* संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2025

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, in Schedule-I, in Part-III, in the Table, for serial number III and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

Type of deposit and principal minerals	G4 stage	G3 stage	G2 stage	G1 stage	Remarks
"**III. Gem-stones:** Beryl, topaz, emerald deposits, diamond, pockets/ lenses/ veins of fluorite in carbonatite, etc.	Scout drilling, if necessary (in line with grid specified by the Central Government from time to time).	8 to 10 pits/ trenches per sq.km. Boreholes to test the continuity of host rock, at 200m. or closer interval.	Trenching preferably at 50m. interval Borehole to test continuity of host rock at 100-50m. or closer interval.	Borehole spacing may be kept closer to that of G2 stage.	Exploratory mine openings-open pit or underground with bulk determination of grades and recovery wherever necessary at G2 and G1 stage.
IIIA. Rare metal and Rare Earth Elements (REE) occurring in pegmatites, reefs and veins/ pipes.	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	10 to 25 pits/ trenches per sq. km. In case of drilling, borehole spacing may be 40m. x 20m. or 40m. x 40m.	Pitting/ Trenching/ preferably at 20m. interval. In case of drilling, borehole spacing may be 20m. x 10m. or 20m. x 20m.	Exploratory open pit or boreholes at 10m. x 10m. or closer or underground sampling with bulk determination of grades and recovery wherever necessary.	
IIIB. Rare metal and Rare Earth Elements (REE) occurring in carbonatite and other alkali igneous rocks:					

(i) Tabular Rare metal and Rare Earth Elements (REE) deposits.	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	Borehole grid/ sample spacing may be 400m x 200m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 200m x 100m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 100m x 100m or closer	
(ii) Lenticular Rare metal and Rare Earth Elements (REE) deposits in the form of veins / lenses.	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	Borehole/ Sample spacing may be 200m x 200m or closer	Borehole/ sample spacing may be 100m x 100m or closer	Borehole / sample spacing may be 100m x 50m or closer.".	

[F. No. 16/62/2020-M.VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 304(E), dated the 17th April, 2015 and lastly amended vide number G.S.R. 52(E), dated the 21st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.13 14:41:10 +05'30'